RAS MAINS TEST SERIES 2018

PAPER –I GENERAL KNOWLEDGE AND GENERAL STUDIES

Unit-II - **ECONOMICS**

नोटः सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है।

1. **बैंक ऑफ बड़ौदा विजया बैंक व देना बैंक के विलय की प्रक्रिया में आने वाली कोई दो चुनौतियाँ लिखिए ?**
   - **i.** इन बैंको की लाभदेयता CAR, तरलता इत्यादि में पर्याप्त अन्तर अर्थात् ये बैंक भिन्न-भिन्न प्रकृति की वित्तीय स्थिति में हैं।
   - **ii.** बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्मचारी संघ अत्यधिक मजबूत, अतः शेष कर्मचारियों पर हावी रहने की संभावना से कर्मचारियों के एकीकरण में बाधा।

2. **ऐच्छिक डिफाल्टर (Wilful defaulters) से क्या आशय हैं ?**

उत्तरः– ऐच्छिक डिफाल्टर वे व्यक्ति/संस्था है जो ऋण की राशि का पुनर्भुगतान करने की स्थिति में होते हुए भी जान-बूझकर ऋण पुनर्भुगतान नहीं करते हैं।

3. **भगौड़ा आर्थिक अपराध विधेयक (Fugitive Economic offenders Bill) क्या हैं ?**

उत्तरः– इसके अन्तर्गत विदेश में रहकर भारतीय कानून प्रक्रिया से बचने वाले 100 करोड़ से अधिक मूल्य के आर्थिक अपराधियों पर अकुंश लगाया जा सकेगा व संपत्ति जब्त की जा सकेगी।

4. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से क्या अभिप्राय हैं ?**

उत्तरः– बैंकिग नियमन अधिनियम 1949 व आर.बी.आई. अधिनियम 1934 के अनुसार वे बैंक जिनमें 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व भारत सरकार का हो, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं।

5. **निवल माँग व अवधि देयता (NDTL) की गणना क्या महत्व हैं ?**

उत्तरः– यह बैंक की वास्तविक वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है व इसी के आधार पर आर.बी.आई. बैंको के साथ व्यवहार करता है अर्थात् सी.आर.आर., सीमान्त स्थायी सुविधा इत्यादि की गणना NDTL के आधार पर की जाती हैं।

6. **बैंको का महत्व जीवन में निकटतम मित्र के समान हैं। स्पष्ट कीजिए ?**

उत्तर :– बैंक व्यक्ति के जीवन की वित्तीय विपत्ति में ऋण उपलब्ध करवा कर वित्त के मुख्य स्त्रोत के रूप में कार्य करते है। कमजोर वर्ग व प्राथमिक क्षेत्र भी सुलभता से बैंक द्वारा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंको में व्यक्ति अपनी अधिशेष पूंजी को पूर्ण निश्चितता व विश्वास के साथ जमा रखता है व इस पर ब्याज के रूप आय प्राप्त करता हैं। लॉकर व्यवस्था के संदर्भ में बैंक गहनों इत्यादि को सुरक्षित रखते है। इस प्रकार बैंक व्यक्ति की समृद्धि की स्थिति में उसकी स्थिति को आधिक सुदृढ़ करते है व विकट परिस्थिति में तारणहार की भूमिका है, अतः बैको महत्व जीवन में निकटतम मित्र के समान हैं।

7. **व्यापारिक** (Commercial) **बैंको व सहकारी** (Cooperative) **बैंको में अंतर लिखिए ?**

व्यापारिक बैंक	सहकारी बैंक
i. स्थापना - संसद द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर संघ सरकार से	**i.** स्थापना-विधामण्डल द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर
ii. एकस्तरीय संरचना	**ii.** त्रिस्तरीय संरचना/ग्रामीण सहाकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक व राज्य सहकारी बैंक।
iii. कार्यक्षेत्र संबंधी बाध्यता नहीं	**iii.** कार्यक्षेत्र निश्चित
iv. नियमन व वित्तीयन आर.बी.आई. द्वारा	**iv.** नियमन एपेक्स बैंक द्वारा व वित्तीयन नाबार्ड द्वारा
v. आर.बी.आई के अधीन	**v.** गैर अनुसूचित बैंक

8. गैर निष्पादन परिसम्पतियों (NPA) से क्या आशय हैं ? इसके कारण, प्रभाव व उपायों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए ?

उत्तरः-

कारण

- बैंको मे पारदर्शिता व जवाबदेहिता का अभाव
- बैंक ब्याज दर तर्कसंगत न होना
- बैंक की साख नीति में दोष होना
- बैंक कर्मचारियों की प्रतिबद्धता में कमी
- प्राकृतिक आपदाएँ
- व्यवसायों का असफल होना
- आर्थिक मंदी का दौर
- विधिक/सरकारी नियंत्रण में लचरता व अस्पष्टता
- बैंको पर बढ़ता दबाव व पूंजी का अभाव

गैर निष्पादन परिसम्पत्तियाँ

किसी व्यक्ति/संस्था को ऋण देने के 90 दिनों की अवधि में यदि उस ऋण पर ब्याज व मूलधन की प्राप्ति न हो तो इस प्रकार की अनअर्जक संपत्ति गैर निष्पादन परिसंपत्ति कहलाती हैं।

वर्गीकरण

सबस्टैण्डर्ड NPA	डाउटफुल NPA	लॉस NPA
90 दिन– 12 महीने	12 महीन से अधिक	भुगतान की उम्मीद नहीं

प्रक्रियागत वर्गीकरण → सकल NPA, निवल NPA

प्रभाव

- बैंको की साख व तरलता में कमी
- ऋणों की अनुपलब्धता से अर्थव्यवस्था कमजोर निवेश बाधित, रोजगार की समस्या
- वसूली की प्रक्रिया में मानव संसाधनों की खपत
- मौद्रिक नीति प्रभावित, मुद्रास्फिती में संतुलन की समस्या
- आर्थिक मंदी की संभावना

उपाय

1. i- kyc मानकों का कठोरता से पालन
   ii- ऋण डिफाल्टर को भविष्य में ऋण न देना
   iii- बैंक प्रणाली पारदर्शी व जवाबदेह बनाना
2. नरसिम्हन समिति द्वारा-
   i. ऋण वसूली ब्यूरो प्राधिकरण की स्थापना
   ii. CIBIL व क्रेडिट इन्फोर्मेशन ब्यूरो
   iii. असेट रिकन्सट्रक्शन फंड (सरफेसिया अधिनियम 2002)
3. सरकार द्वारा किये गये उपाय-
   i. नयी दिवालियापन संहिता
   ii. प्रोजेक्ट सशक्त
   iii. नेशलन कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल
   iv. भगौडा आर्थिक अपराध विधेयक 2018

सारथि एकेडमी